


24/4/2024

आज पत्रावली पेश हुई

Not Press

वकील वाही ने उपस्थित डेप्युट वाफ को Not Press में खरीज किमे जाने का निवेदन करते हुए सहमति स्वरूप आपने हस्ताक्षर किमे ही पत्रावली Not Press में खरीज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार डेप्युट नम्बर से कम होना चाहिए व कमिश्नर दारिजिल जिला लेख मण्डार को आदेश आज दिनांक 24-4-24 को मेरे द्वारा विरव नाम जाडट खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/24
(मीर खीत सिंह
आदव A/O)


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

